न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

रेफरेन्स संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/06/2009	2009/00008	10–07–2009	30–05–2024

01–सरकार मंदिर श्री लालदास जी महाराज ग्राम शेरपुर तहसील रामगढ जिला अलवर जर्ये तहसीलदार रामगढ जिला अलवर।

–प्रार्थी

बनाम

01– सल्लू पुत्र मोहम्मद खॉ मेव निवासी शेरपुर।

–अप्रार्थी

रैफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 82
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री नरेश चौधरी

–वकील अप्रार्थी

:: निर्णय ::–

तहसीलदार रामगढ ने यह रैफरेन्स प्रकरण पेश कर निवेदन किया कि ग्राम शेरपुर तहसील रामगढ व जिला अलवर में जमाबन्दी सं0 1990 में आराजी खसरा नंबर 202/2.19 436/1.3 बीघा के बिशेष विवरण में बखिदमत मकान लालदास अंकित है। व खाना नम्बर 05 में चन्दनदास चेला मलूकदास साद सा0 टोडी माफी देन जमीदारा अंकित है। ख0न0 के बन्दोबस्त स0 2020 में क्रमशः ख0 न0 299/2.19, 519/1.3 बने है व बन्दोबस्त स0 2058 में क्रमशः 460/0.75, 981/0.29 हैक्ट बने है। जो मिसल बन्दोबस्त सख्या 2058 व जमाबन्दी सं0 2062–65 में सल्लू पुत्र मोहम्मदखा मेव की खातेदारी में दर्ज हुऐ। बन्दोबस्त स0 2020 मे उक्त ख0न0 299 मल्लडदास चेला गरीबदास साधू सा0 कटोरडी खातेदार नाम दर्ज हुये है। व ख0 न0 519 सल्लू पुत्र मोहम्मदखा मेव सा0 देह के नाम दर्ज है। निर्णय माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर दिनांक 15.05.1968 के मुद्देई सल्लू पुत्र मोहम्मदखा मेव सा0 शेरपुर ने धर्मदास चेला गरीबदास गाव बैठक टोरडी तहसील रामगढ से बहैसियत वारिस व काबिज जायदाद मल्लड चेला मरीबदास के इकबाल दावा पेश कराया है। जिसके आधार पर सल्लू के नाम निर्णय हुआ है व नामान्तरकरण दर्ज हुआ है। छाया प्रति संलग्न जवाब दावा केश कबीरा फकीरा नगला भूरिया बनाम सल्लूदास साद की मुन्सिफी डीग में सल्लूदास चेला धर्मदास साद का दिनांक 03.10.1955 मे स्वय को धर्मदास का चेला बताया है। व उसका नामा0 स्वय के नाम दर्ज करने की प्रार्थना की है। इस प्रकार धर्मदास की मृत्यु सन् 1955 से पूर्व बताई गई है। जबकि निर्णय सहायक कलक्टर महोदय अलवर में धर्मदास द्वारा इकबाल दावा पेश हुआ है। इससे स्पष्ट होता है। कि निर्णय माननीय सहायक कलक्टर अलवर दिनांक 15.05.1968 व माननीय न्यायालय मुनसिफी डीग में पेश जवाब दावों में धर्मदास की मृत्यु की तिथियों में भिन्नता है। यदि मृत्यु 1955 में हो चुकी थी, इकबाल दावा जो 1968 में दिया गया है। वह गलत व उससे सम्बधित निर्णय पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। सम्वत 1990 की जमाबन्दी में माफी देन जमीदारा व बखिदमत मकान लालदास का अंकन इसे मन्दिर की भूमि होना बताता है। चुकि मन्दिर मुर्ति शाशवत नाबालिग होती जिसकी जमीन पर किसी को अधिकार प्राप्त नही होते। सल्लू पुत्र मोहम्मखा मेव सा0 शेरपुर के नाम दर्ज होना कानून के खिलाफ है। उक्त सन्दर्भित आराजी को वापिस मन्दिर मुर्ति के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश फरमावे।

विद्वान वकील प्रार्थी नम्बर 01 ने निवेदन किया है कि संवत 1990 मे जो जमाबन्दी प्रार्थना–पत्र के साथ पेश की गई है। उसमें ख0 न0 202 नही है। बल्कि 222 है। जो जमाबन्दी के अनुसार दुरूस्त कराया जिससे उसका जवाब दिया जा सके। शेष भाग सही है। यह जमीन लालदास के स्थान पर बने हुये मकानो के देखभाल व सुरक्षा करने वालो को उनकी खिदमत करने के एवज में गुजारा करने के लिए दी गई थी। लालदास मंदिर को कोई जमीन नही दी गई। जेसा कि जमाबन्दी सं0.1990 मे अंकन हे। दर्ज फैसले की प्रति उपलब्ध कराई जिससे चरण से वर्णित

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

तथ्यों का जवाब दिया जा सके। जो दस्तावेज पेश किये गये है। उनसे यह प्रकट नही होता है। कि घमदास 03.10.55 को जीवित नही था। व मर गया था। सल्लूदास को केवल धर्मदास का चेला बताया गया है। धर्मदास के जीवित रहते भी चेला बन जाता है। इसलिये चरण में दर्ज त्थ्य गलत है। सहायक जिलाधीश के यहां जो इकबाल दावा पेश किया है उससे प्रकट होता है। कि इकबाल दावा पेश करते समय धर्मदास जिन्दा था। माननीय न्यायालय मुसिसफ डीग में दस्तावेज जो पेश किये गये है। जिससे प्रकट नही होता है। कि धर्मदास मर गया था। उसमें तो केवल सल्लू चेला धर्मदास अंकित हे। सं0 1990 की जमाबन्दी मे जो इन्द्राज है माफी देन जमीदार बयखिदमत मकान लालदास का इन्द्राज यह प्रकट नही करता कि जमीन लालदास मंदिर को दी गई। बल्कि यह प्रकट की गई है। कि लालदास के स्थान पर बने हुये मकानात की देखभाल व सुरक्षा करने के लिए सल्लू वैग0 जो सेवा कर रहे थे। उस खिदमत की एवज में उनको गुजारा करने के लिये जमीन दी गई। चरण में यह लिखना कि यह जमीन मंदिर लालदास की है ओर इस कारण उसमे सल्लू जो खिदमतगार था उसको कोई अधिकार नही है। गलत है सेवा के बदले ग्राट दी गई थी। जो सल्लू करता था। क्योंकि सल्लु मकानात व खिदमत देखभाल व सुरक्षा करता था उसको स्वयं को गुजरा के लिये जमीदारों ने संवादारों के लिये माफी दी थी, मन्दिर के लिये नही दी थी। इसलिये राजस्व रेकार्ड में जो इन्द्राज हो रहा है। वह सही हो रहा है कानून के खिलाफ नही है। जिस जमीन पर लालदास की कोई मुर्ति स्थापित नही है। संदर्भित आराजी को वापस मन्दिर मुर्ति के नाम राजस्व रेकार्ड दुरूस्त किया जाना गलत है। क्योकि मुर्ति मन्दिर के नाम कभी जमीन नही थी। बल्कि खिदमत के आधार पर जमीन सल्लू को दी गई थी। अतः जवाब रेफरेंस पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र रेफरेस मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। जमाबंदी संवत 1990 में विवादित आराजी बखिदमत मकान लालदास अंकित व दर्ज है। पत्रावली में संलग्न रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2020 में क्रमशः ख0न0 299/2.19, 519/1.3 बने है व बन्दोबस्त स0 2058 में क्रमशः 460/0.75, 981/0.29 हैक्ट बने है। जो मिसल बन्दोबस्त सख्या 2058 व जमाबन्दी सं0 2062–65 में सल्लू पुत्र मोहम्मदखा मेव की खातेदारी में दर्ज हुऐ। बन्दोबस्त स0 2020 मे उक्त ख0न0 299 मल्लडदास चेला गरीबदास साधू सा0 कटोरडी खातेदार नाम दर्ज हुये है। व ख0 न0 519 सल्लू पुत्र मोहम्मदखा मेव सा0 देह के नाम दर्ज है जबकि पूर्व में बखिदमत मकान लालदास अंकित थी। सहायक कलक्टर अलवर के निर्णय दिनांक 15.05.1968 के आधार पर भूमि को मल्लडदास के नाम से सल्लू पुत्र मोहम्मदखां मेव के नाम दर्ज कर दी गयी। न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर द्वारा पेश इकबाल दावा के आधार पर निर्णय सल्लू के पक्ष में जारी किया गया व नामान्तरकरण भी दर्ज हुआ। किन्तु मूर्ति नाबालिग शाश्वत होने के कारण उसकी भूमि पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। अप्रार्थी जवाब में अंकित तथ्यों के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये है। सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ़ द्वारा पेश रैफरेंस प्रा0पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रा0पत्र रैफरेंस स्वीकार किया जाकर जमाबंदी संवत् 2058 में वर्णित विवादित आराजी खसरा नम्बर 460/0.75, 981/0.29 हैक्ट0 कुल किता 02 वाके ग्राम शेरपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 से अप्रार्थी का नाम कलमजन किया जाकर माफी मंदिर श्री लालदास जी महाराज ग्राम शेरपुर तहसील रामगढ़ के नाम दर्ज करने की अभिशंषा के साथ माननीय निबंधक, राजस्व मण्डल राज0 अजमेर को भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)